प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–14 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 07.10.2015 को अभियुक्तगण 1–इकराम उर्फ चक्कल पुत्र जिन्दा कुरैशी 2–राशिद पुत्र मकसूद कुरैशी 3–फरमान पुत्र मकसूद कुरैशी 4–दानिश पुत्र इकराम 5–हाजी सईद पुत्र मकसूद कुरैशी नि0गण मौ0 कुरैशीयान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी वासिद पुत्र सदीम कुरैशी नि0 मौ0 कुरैशीयान थाना गंगोह के भाई के काला उर्फ जरीद के घर में एक राय होकर घुसना व हथियारों से लैस होकर गाली–गलौच करना व जान से मारने की नियत से फायर करना एंव वादी की पत्नी भूरी उर्फ महमूदा उम्र–48 वर्ष की मारकर हत्या करना व क्षेत्र में भय का महौल करना व लोक व्यवस्था भंग करने की सूचना पर मु0अ0स0 508/15 धारा 302,307,147,148,149 भादवि व मु0अ0स0 554/15 व 555/15 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में थाना गंगोह पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 361/2016, 362/16 व 363/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–14 स0पुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–14 स0पुर द्वारा आज दिनांक 22.09.2021 को अभियुक्तगण 1–इकराम उर्फ चक्कल पुत्र जिन्दा कुरैशी 2–राशिद पुत्र मकसूद कुरैशी 3–फरमान पुत्र मकसूद कुरैशी 4–दानिश पुत्र इकराम 5–हाजी सईद पुत्र मकसूद कुरैशी को 508/15 धारा 302,307,147,148,149 भादवि व मु0अ0स0 554/15 व 555/15 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2021

थाना सदर बाज़ार पुलिस एवं क्राइम ब्रांच, सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा गुमशुदा / अपहृत युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तो की निशादेही पर हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू, तार, मृतक के चप्पल, गमछा व मोटर साइकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.9.2021 को अपने पुत्र विनय उम्र करीब 17 वर्ष के घर से जाने के बाद वापस न लौटने व तलाश करने पर न मिलने के सम्बन्ध मे श्रीमती बाला देवी पत्नी शिवकुमार निवासी हरिनगर चुना भट्टी के पास थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0 अ0 सं0 438/21 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था दौराने विवेचना परिजनो द्वारा थाना रामपुर मनिहारन मे दिनांक 16.9.2021 को बरामद हुए एक अज्ञात व्यक्ति के शव के कपडो को देखकर मृतक विनय के रुप मे पहचान की गयी थी जिसके आधार पर अभियोग मे धारा 364,302,201 भादवि की वृद्धि की गयी तथा घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के नेतृत्व मे गठित टीम एवम क्राइम ब्रांच की सर्विलांस शाखा की टीम द्वारा संयुक्त रुप से प्रयास करते हुए गुमशुदा / अपहृत विनय के मोबाइल फोन की सीडीआर प्राप्त कर संदिग्ध नम्बरो के आधार पर अवलोकन किया गया तो अभियुक्त प्रवीन उर्फ रेन्चो पुत्र प्रीतम के मोबाइल फोन की लोकेशन घटना के समय मृतक के फोन की लोकेशन के साथ साथ पायी गयी। सीडीआर के आधार पर प्रवीन उर्फ रेन्चो की तलाश की गयी घर पर नही मिला। दिनांक 21.9.2021 को पुलिस टीम द्वारा सर्किट हाऊस के सामने खाली पडे मैदान से पुलिस द्वारा अभियुक्त अभियुक्तगण 1. प्रवीन उर्फ रेन्चो पुत्र प्रीतम सिंह निवासी म0 नं0 22/2 लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 2. अंकुर उर्फ धनंजय पुत्र संतोष निवासी म0 नं0 36/2 लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 3. सोनू उर्फ गोला पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम लक्कड माजरा थाना सदर बाजार सहारनपुर को रात्रि समय ...... बजे गिरफ्तार किया गया। थाने पर लाकर की गयी गहनता से पूछताछ कर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अभियुक्त प्रवीन उर्फ रेन्चो के 2000 रुपये मृतक द्वारा उधार लेकर वापस ना देने व पैसे मांगने पर विनय द्वारा रेन्चो को धमकाने तथा अभियुक्त अंकुर उर्फ धनंजय से कुछ दिन पूर्व मृतक विनय द्वारा की गयी मारपीट का बदला लेने के उद्देश्य से तीनो अभियुक्तो द्वारा योजना बनाकर दोस्ती का वास्ता देते हुए बहाने से अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर मानकमऊ बडी नहर के किनारे पक्की सडक से होते हुए बाई पास हाईवे के नीचे से होकर बगल से जा रहे रजवाहे की पटरी पर ले जाकर चाकू से वार कर व तार से गला घोटकर हत्या करना बताया। अभियुक्तगण की निशादेही पर हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व तार व घटना मे प्रयुक्त की गयी अभियुक्त सोनू उर्फ गोला की मोटरसाइकिल व मृतक का गमछा बरामद किये गये एवम मृतक द्वारा घटना के समय पहनी गयी एक जोडी चप्पल घटनास्थल से बरामद की गयी। मृतक के गमछा व चप्पलो की शिनाख्त मृतक के परिजनो द्वारा की गयी। घटना का अनावरण एवम अभियुक्तो से की गयी पूछताछ एवम बरामदगी के आधार पर मृतक के परिजनो द्वारा भी अनावरण की पुष्टि की गयी।

- **<u>गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणो के नाम पता</u>**

1. प्रवीन उर्फ रेन्चो पुत्र प्रीतम सिंह निवासी म0 नं0 22/2 लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. अंकुर उर्फ धनंजय पुत्र संतोष निवासी म0 नं0 36/2 लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. सोनू उर्फ गोला पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम लक्कड माजरा थाना सदर बाजार सहारनपुर

- **<u>बरामदगी का विवरण</u>**

1.आलाकत्ल एक अदद चाकू

2.आलाकत्ल एक अदद तार

3. घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल नं0 यू पी 11 बी वाई 7891 स्पेलंडर प्लस रंग काला , लाल नीली पट्टी
4. मृतक की एक जोडी चप्पल
5. मृतक का गमछा

- **<u>गिरफ्तार करने वाली टीम थाना सदर बाजार सहारनपुर</u>**

1.हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार सहारनपुर

2. उ.नि. श्री गौरव राठी थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. उ.नि. श्री लोकेन्द्र राणा थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. उ.नि. श्री अशो कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. उ.नि. श्री नीशू तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. उ.नि. श्री सोनू राणा थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. का0 1978 अजीत कुमार व का0 241 राहुल शर्मा थानासदर बाजारा सहारनपुर

- **<u>सर्विलांस सैल/स्वाट टीम</u>**

1.उ.नि. श्री अजब सिंह

2.उ.नि. श्री जयवीर सिंह

3. उ.नि. श्री अजय गौड
4. का0 विनित हुड्डा , का0 मोहित ,

प्रेस नोट दिनांक 22—09—2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 21.09.2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा जं0ग्राम इरसरपुर से अभि0 कर्ण पुत्र श्यामकुमार निवासी शशीनगर थाना देवबन्द सहारनपुर को 32 पव्वे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 570/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते समय 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 21.09.2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा जीटी रोड देवबन्द से अभि0 मो0 आमीर पुत्र शराफत निवासी मौहल्ला पठानपुरा थाना देवबन्द सहारनपुर को सटटे की खाईबाडी करते समय पर्चा सटटा मय 360 रूपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 572/21 धारा 13 जी एकट पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 21.09.2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा टिडोली गंगोह रोड के पास से अभि0 1—निसार पुत्र आबिद निवासी टोडरपुर यमुनानगर हरियाणा 2—मुन्तजीर पुत्र हारून निवासी उक्त को 06—06 ग्राम नाजायज स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 388/21, 389/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 21.09.2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा टंकी चोराहा थाना गंगोह से अभि01—सचिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी आजादनगर यमुनानगर हरियाणा 2—वरूण पुत्र जयविन्द निवासी उपरोक्त को 10—10 ग्रम नाजायज स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 469/21, 470/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एकट पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 21.09.2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा खुशहालपुर पुलिया थाना मिर्जापुर से अभि0 1—तोयबव पुत्र मेंहदी हसन निवासी खुशहालपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर 2—भूरा पुत्र नाजिर निवासी उपरोक्त को नाजायज एक—एक चाकू सहित गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 224/21, 225/21 धारा 4/25 आर्म्स एकट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
जनपद सहारनपुर।